


कार्यालय, विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), एटा।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित जाता है कि जनपद न्यायालय, एटा परिसर में गेट सं०-4 के समीप बने पुराने व निष्प्रयोज्य चार भवन/कमरों की नीलामी दिनांक 13.09.2021 को सांय 3.30 बजे निश्चय है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म जो निष्प्रयोज्य भवन कमरों के मलवे को लेने के लिए इच्छुक हों तो वह नीलामी में नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर बोली लगाने के लिए आमंत्रित हैं। नीलामी में शामिल होने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व मु० 10000 बतौर जमानत के रूप में जमा करने होंगे। तदोपरान्त वह बोली में भाग ले सकता है। बोली जिसके पक्ष में होगी उस व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। चार निष्प्रयोज्य भवन/कमरों जिनका मलवा नीलाम होना है। उसको किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, एटा से सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, एटा को होगा। जी०एस०टी० का भुगतान अलग से नियमानुसार देय होगा।



(कुमार गौरव),  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश  
(आवश्यक वस्तु अधिनियम), एटा।

प्रतिलिपि केन्द्रीय नाजिर द्वारा निम्नलिखित बोर्डों पर चस्पा करने हेतु-

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, एटा।
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, एटा।
3. नोटिस बोर्ड जिला परिषद, एटा।
4. नोटिस बोर्ड नगर पालिक, एटा।
5. नोटिस बोर्ड विकास भवन, एटा।
6. नोटिस बोर्ड बस स्टैण्ड, एटा।
7. वैबसाइट जनपद न्यायालय, एटा।
8. वैबसाइट उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. जनसूचना अधिकारी, एटा को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रतिलिपि प्रेषित की जावे।